

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक एफ 40(18) ग्रावि/नरेगा/तक.प्रकरण/पार्ट-II/2010

जयपुर, दिनांक:

24 APR 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :— पूर्व निर्मित सड़कों से मिट्टी हटाने के कार्यों के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कुछ जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत पूर्व निर्मित ग्रेवल सड़कों पर से मिट्टी हटाने के बहुत अधिक राशि के काफी कार्य स्वीकृत किये जाने एवं उनके फ्रियान्वयन में अनियमितता होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सड़कों पर आई मिट्टी के कार्यों को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करना कठिन है क्यों कि पहले से ऐसे कार्यों का वास्तविक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही भौतिक रूप से यह भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार के कार्य कहां और किस स्थान पर हुए।

अतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत पूर्व निर्मित सड़कों से मिट्टी हटाने एवं पटरी (Banks) मरम्मत के कार्यों की स्वीकृति जारी करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है, भविष्य में इस प्रकार के कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं की जावे। इसके साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि जो कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं, परन्तु आरम्भ नहीं हुए हैं एवं जो कार्य आरम्भ हो चुके हैं लेकिन अधूरे हैं उन सभी कार्यों की स्वीकृतियां तुरन्त प्रभाव से निरस्त की जावें।

कृपया जननुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(अभय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
4. अति. आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस, जयपुर।
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम/द्वितीय) एवं मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
6. मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस, जयपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता, जिला परिषद्, समस्त राजस्थान एवं मुख्यालय।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस